


फर्द अहकाम

अदालत उपरखण्ड अधिकारी सराड़ा
रामजी बनाम लालजी
 न मुकदमा शिवरत्न वाड पत्रावली नं. 196/11 सन् _____

क्र	हुक्म या कार्यवाही/मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
3/19	<p>पत्रावली पेश हुई। वही उपखण्ड अधिकारी उपरखण्ड अधिकारी का कार्यवाही उपरखण्ड अधिकारी के पास होने एवं उपरखण्ड अधिकारी को पत्रावली पेश करके जमानत देने के पत्रावली दि. 5.12.19 को पेश हो।</p> <p>5/12/19. पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण प्रथम वादीगण अनुपस्थित, आज दिनांक को जमानत स्वीकारने की वादीगण प्रथम अधिवक्ता उपर नही हुए, जिनके लिए न्यायालय विधिवत रूप से ब्या-ब्या फाइलें दिलावाई गईं। इसके उपरान्त भी वादीगण प्रथम अधिवक्ता के अरहादिर रहने के कारण वादीगण का काउण्टर हस्तांतरण करण हाजरी काउण्टर की खसिम किया जाता है, पत्रावली - फेशल शुमार शेकर नम्बर के काउण्टर साखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: center;">  उपरखण्ड अधिकारी सराड़ा, जिला-उदयपुर (राज.) </p>	